न्यायालय सहायक कलेक्टर रानीवाडा जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाशचन्द अग्रवाल आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 21/2017

वादीया

1. श्रीमती नेनूदेवी पत्नि हरीरामजी जाति चौधरी निवासी रानीवाडा कलां तहसील रानीवाडा

बनाम

प्रतिवादीगण

1. बगदा वल्द वेलाजी
2. मृतक छगना वल्द वदाजी के वारीसान–
   2/1 वगतु बेवा छगनाजी
3. तेजा वल्द वदाजी
4. मृतक किस्तुरा वल्द गेनाजी के कायम मूकाम वारीसान–
   4/1 मफा
   4/2 रेवा
   4/3 मगा पिसरान किस्तुराजी
   4/4 मु. सणगी बेवा .किस्तुराजी
5. भरत कुमार
6. प्रकाश
7. प्रवीण पिसरान रूपाजी
8. मृतक रमेश कुमार वल्द रूपाजी के कायम मूकाम वारीसान–
   8/1 सुमित्रा
   8/2 लता पुत्रीयान रमेश कूमार प्रतिवादी सुमित्रा व लता ना. बा. जरिये संरक्षक दादी केसी बेवा रूपाजी
9. केसी बेवा रूपाजी तमाम जातियान रावल ब्राहमण साकिनान रानीवाडा खुर्द तहसील रानीवाडा जिला जालोर
10. भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा
11. आई.सी.आई.सी.आई बैंक शाखा रानीवाडा जरिये प्रबन्धक

दावा बाबत घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955 एवं धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. वादीया के अधिवक्ता श्री जबराराम पुरोहित उपस्थित ।
2. प्रतिवादी संख्या 10 के राज पैरोकार तहसीलदार रानीवाडा

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.04.22 16:32:37 IST
Reason: SelfAttested

–: निर्णय :–

दिनांक 03.03.2021

1. वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा रानीवाडा खुर्द तहसील रानीवाडा में वादीया की खरीदसुदा व कब्जासुदा खातेदारी आराजी नवीन खसरा नम्बर 1402 रकबा 2.82 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 1403 रकबा 0.68 हेक्टेयर ,खसरा नम्बर 1404 रकबा 0.91 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 1405 रकबा 1.23 हेक्टेयर जूमले रकबा 5.64 हेक्टेयर स्थित है। वादीया

ने उक्त आराजी जरिये बैचान दस्तावेज निष्पादन दिनांक 28.10.1993 व पंजीयन दिनांक 02.09.1999 के उक्त आराजी के खातेदार बगदा वल्द वेला, छगना तेजा पिसरान वदा, किस्तुरा वल्द गेना कौम रावल ब्रहम्ण साकिन रानीवाडा खुर्द तहसील रानीवाडा से बएवज वैध प्रतिफल के खरीद कर उक्त आराजी का कब्जा दिनांक 28.10.1993 को प्राप्त किया था। वादीया के पक्ष में विवादीत आराजी बाबात निष्पादीत बैचान दस्तावेज पंजीयन हेतु उप पंजीयक रानीवाडा के समक्ष दिनांक 27.01.1994 को प्रस्तुत किया जो उप पंजीयक रानीवाडा द्वारा पंजीयन हेतु स्वीकार किया गया, परन्तु उप पंजीयक रानीवाडा ने उक्त दस्तावेज अपंजीकृत रखते हुये कमी मुद्रांक का प्रकरण दर्ज करने हेतु श्रीमान उप महानिरीक्षक एवं पदेन कलेक्टर (मुद्रांक) पाली वृत पाली को लिखा गया। जिसके आधार पर श्रीमान उप महानिरीक्षक एवं पदेन कलेक्टर (मुद्रांक) पाली के न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 35/94 दर्ज किया गया तथा बाद सुनवाई न्यायालय श्रीमान उप महानिरीक्षक एवं पदेन कलेक्टर (मुद्रांक) पाली वृत पाली ने दिनांक 28.02.1997 को निर्णय पारीत कर कमी मुद्रांक 7200/– रूपये व पंजीयक शूल्क 304/–रूपये तथा शास्ति 100/–वादीया से वसुल करने के आदेश पारीत किये । जिसकी पालना में वादीया ने जरिये रसीद संख्या 5197 दिनांक 03.03.1997 के उक्त रकम जमा करवा दी परन्तु मूल दस्तावेज वादीया को पंजीयन कर नहीं लौटाया जिस पर वादीया ने अपने वकील के जरिये उक्त मूल दस्तावेज बाद पंजीयन लौटाने हेतु नोटिस दिया तब बैचान दस्तावेज दिनांक02.09.1999 को पंजीबद्व कर वादीया को लौटाया गया। इस प्रकार विवादीत आराजी बाबत वादीया के पक्ष में निष्पादीत उक्त बैचान दस्तावेज दिनांक 27.01.1994 से 02.09.1999 की अवधि के दौरान अपंजीकृत व लम्बित रहने से उक्त मूल बैचान दस्तावेज वादीया को प्राप्त नहीं होने से उक्त बैचान दस्तावेज वादीया को प्राप्त नहीं होने से उक्त बैचान दस्तावेज के आधार पर वादीया के पक्ष में उक्त आराजी बाबत म्युटेशन स्वीकृत नहीं किया जा सका।

2. उक्त वर्णित सम्पूर्ण आराजी का बैचान उक्त आराजी के खातेदारान द्वारा करने के बावजूद मात्र उक्त आराजी वादीया के नाम दर्ज नहीं होने से वादीया के पीठ पिछे जरिये शुद्वि पत्र दिनांक 21.12.1995 के उक्त आराजी की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 5 से 8 के पिता व प्रतिवादी संख्या 9 के पति रूपा वल्द थाना का नाम दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार रानीवाडा द्वारा दिनांक 22.12.1995 को दिये गये। जिसके आधार पर वाद वादग्रस्त आराजी मे मौके पर कब्जा वादीया का होते हुये भी उक्त आराजी की खातेदारी में रूपा वल्द थाना का नाम दर्ज किया गया तथा रूपा वल्द थाना को फौत दिनांक 27.10.1990 को बताकर जरिये म्यूटेशन संख्या 303 दिनांक 16.04.1996 के रूपा फौत की बजाय प्रतिवादी संख्या 5 से 9 के नाम दर्ज किये गये तथा उक्त आराजी की खातेदारी में वादीया का नाम दर्ज नहीं होने व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का नाम दर्ज होने का गलत फायदा उठा कर अवैध एवं फर्जी तरीके से उक्त आराजी में से 0.10 हेक्टेयर आराजी रास्ते हेतु समर्पित कर दी, जिसके आधार पर म्यूटेशन संख्या 223 स्वीकृत किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 4 के फौत होने पर जरिये म्यूटेशन संख्या 540 के उक्त आराजी की खातेदारी गलत रूप से प्रतिवादी संख्या 4 किस्तुरा की बजाय प्रतिवादी सख्या 4/1 से 4/4 के नाम दर्ज की गई। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 2 छगना के फौत होने पर जरिये म्यूटेशन संख्या 582 के उक्त आराजी छगना की बजाय वगतु बेवा छगना के नाम दर्ज की गई। प्रतिवादी संख्या 8 रमेश कुमार के फौत होने पर जरिये म्यूटेशन संख्या 1345 दिनांक 25.01.2010 के उक्त आराजी की खातेदारी रमेशकुमार की बजाय प्रतिवादी संख्या 8/1 से 8/2 व सुकीदेवी पत्नि रमेश कुमार के नाम दर्ज की गई तथा सुकीदेवी फौत हो चूकी है तथा सुकीदेवी के वारीसान के रूप में प्रतिवादी संख्या 8/1 व 8/2 जीवित हैं एवं प्रतिवादी संख्या 8/1 व 8/2 का पालन पोषण उनकी दादी केसी बेवा रूपाजी कौम रावल ब्राहमण साकिन रानीवाडा खुर्द कर रही हैं। इसलिये यह दावा प्रतिवादी संख्या 8/1 व 8/2 के [illegible] केसी बेवा रूपाजी के जरिये पेश किया जा रहा हैं। इस प्रकार उक्त आराजी वादीया द्वारा जरिये बैचान दस्तावेज दिनांक 28.10.1993 के खरीद कर कब्जा प्राप्त करने के बाद [illegible] आराजी बाबत स्वीकृत शुद्वि पत्र दिनांक 21.12.1995 म्यूटेशन संख्या 303 दिनांक 16.04.1996 म्यूटेशन संख्या 223 व म्यूटेशन संख्या 540 दिनांक 14.02.2001 म्यूटेशन संख्या 582 दिनांक 15.10.2001 म्यूटेशन संख्या 1345 दिनांक 25.1.2010 की कार्यवाही वादीया के पीठ पिछे वादीया को सुनवाई का अवसर दिये

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.04.22 16:36:37 IST
Reason: SelfAttested

बिना की हुई होने से तथा वादीया के हितों के विरूद्व शुन्य बेअसर व अवैध होने से वादीया पर बाध्यकारी नहीं है। उक्त आराजी का बैचान उक्त आराजी के सभी सहखातेदारान द्वारा वादीया को करने के पश्चात उक्त आराजी की खातेदारी में दर्ज तमाम इन्द्राज अवैध, शून्य व विधि विरूद्व होने से वादीया पर बाध्यकारी नहीं है। उक्त आराजी वादीया की खरीदसुदा व कब्जासुदा आराजी है। इसलिये उक्त आराजी वादीया की खातेदारी की होने की घोषणा करवाने की वादीया अधिकारीणी है। जिस हेतु दावा पेश हैं।

3. वादीया दिनांक 25.06.2017 को अपनी खरीद सुदा व कब्जासुदा उक्त आराजी की देखभाल कर रही थी, तब प्रतिवादी संख्या 1 से 9 मौके पर आये तथा वादीया को कहने लगे कि उक्त आराजी की खातेदारी में तुम्हारा नाम दर्ज नही है, तुम उक्त आराजी का कब्जा खाली कर दो नही तो हम लाठी के बल पर उक्त आराजी का कब्जा खाली करवा देगें तथा हमनें पडौसी खातेदार दिनेश वगैरह से मिलकर तुम्हारी खरीद सुदा इस आराजी का रकबा कम करवाने हेतु एक दावा श्रीमान सहायक कलेक्टर रानीवाडा की कोर्ट में पेश करवाया है, जिसमें तुम्हे पक्षकार नहीं बनाया है तथा हमउ क्त दिनेश वगैरह से मिलावट कर तुम्हारी उक्त खरीद सूदा आराजी का रकबा भी कम करवा देगें। जिस पर वादीया ने हाथा जोडी कर उन्हे कहा कि उक्त आराजी पर मेरा कब्जा वक्त खरीद से है तथा केवल मात्र उक्त आराजी की खातेदारी में मेरा नाम दर्ज नहीं होने से तुम मुझे बेदखल मत करो, तो तमाम प्रतिवादी संख्या 1 से 9 नाराज हो गये तथा वादीया को एलानिया धमकी देने लगे कि उक्त आराजी हमारी खातेदारी में दर्ज है तथा उक्त आराजी का बैचान किसी अनजबी क्रेता को कर देगें तथा प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा बैंक में रहन रख दिया है तथा शेष हमारा हिस्सा भी हम बैंक में रहन रख देगें तथा तूम्हे लाठी के बल पर बेदखल कर देगें। कल दिनांक 11.07.2017 को प्रतिवादी संख्या 1 से 9 ने पुनः वादीया को उक्त आराजी से लाठी के बल पर बेदखल करने तथा उक्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज होने का फायदा उठा कर उक्त आराजी को किसी बदमाश व्यक्ति को बैचान करने की एलानिया धमकी दी। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या 1 से 9 के अवैध व गैर कानूनी कृत्यों को रूकवाने हेतु वादीया के पास अन्य कोई उपचार नहीं होने से तथा वादीया प्रतिवादी संख्या 1 से 9 के अवैध व गैर कानूनी कृत्यों को रूकवाने की अधिकारीणी होने से वादीया की ओर से यह दावा बाबत घोषणा रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश है।

4. उक्त वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी सं0 1 से 11 को सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादी 1, 2/1, 3, 4/1 से 4/4, 5, 6, 7, 8/1, 8/2, 9 की ओर से समन बाद तामिल कोई उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 10 कि ओर से जवाब दिनांक 11.12.2019 को प्रस्तुत किया कि मौजा रानीवाडा खूर्द तहसील रानीवाडा के खसरा नम्बर 1402, 1403, 1404, 1405 जूमले रकबा 5.54 हेक्टेयर भूमि खातेदार बगदा वल्द वेला 1/2 मु. वगतु बेवा छगना तेजा वल्द वदा, मफा रेवा मगा पि. किस्तुरा, मु सणगी बेवा किस्तुरा , भरत कुमार ,प्रकाश, प्रवीण कुमार पि. रूपा, सुमित्रा,लता,पुत्रीया रमेश कुमार ना.बा. की वली दादी केसी, केसी बेवा रूपा 1/2 कौम रावल ब्राहमण के नाम दर्ज है। मौजा रानीवाडा खुर्द के जमाबंदी संवत 2050–2053 के खाता संख्या 205 में शुद्वि पत्र संख्या 1/22.12.95 के अनुसार–बगदा वल्द वेला 1/2 हिस्सा, छगना, तेजा, पि. वदा, किस्तुरा वल्द गेना, रूपा वल्द थाना 1/2 हि. कौम रावल ब्राहम्ण दर्ज किया गया। इसमें रूपा वल्द थाना का नाम शुद्वि पत्र के जरिये दर्ज किया गया है। नामान्तरण संख्या 223 दिनांक 30.03.95 के अनुसार खसरा नम्बर 1402/2282, 1403/2283, 1404/2284, 1405/2285 रकबा क्रमश 0.04, 0.01, 0.02, 0.03 हेक्टेयर भूमि रास्ता हेतु दर्ज की गई है।

5. वादीगण ने अपने साक्ष्य सबूत में दस्तावेज प्रस्तुत किये। प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य शपथ पत्र पेश नहीं किया गया व दिनांक 05.01.2021 [illegible] तहसीलदार रानीवाडा की साक्ष्य बंद कि गई।

6. वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद व प्रतिवादी जवाब व प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य दस्तावेज के आधार पर तनकीयात कायम की जाकर एकसप्लेन की गयी।

7. वादीया की ओर से वादीया नेनूदेवी पत्नि हरीरामजी कौम चौधरी निवासी रानीवाडा कलां का साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया। जिसमें वाद पत्र के तथ्यों को मुख्य परीक्षा में दोहराया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.04.22 16:32:37 IST
Reason: SelfAttested

तथा दावे के साथ मौजा रानीवाडा खुर्द के नवीन खसरा नम्बर 1402 से 1405 की आराजी बाबत मेरे पक्ष में निष्पादित बैचान दस्तावेज दिनांक 28.10.1993 की प्रमाणित प्रति पेश की जो प्रदर्श 1 है। प्रकरण संख्या 35/94 की आदेशिका जो अतिरिक्त कलेक्टर मुद्रांक पाली की प्रमाणित नकल जो प्रदर्श 2 है। प्रकरण संख्या 35/94 में न्यायालय कलेक्टर मुद्रांक वृत पाली द्वारा पारीत आदेश दिनांक 28.02.1997 की प्रमाणित प्रति जो प्रदर्श 3 है। जमाबंदी सवंत 2070 से 2073 खसरा नम्बर 1402 से 1405 की प्रमाणित प्रति जो प्रदर्श 4 है। मौजा रानीवाडा खुर्द के खसरा नम्बर 1402 से 1405 की जमाबंदी संवत 2054–57 की फोटोप्रति, उक्त आराजी की जमाबंदी संवत 2058–61 की फोटोप्रति, जमाबंदी संवत 2062 से 65 की फोटोप्रति पेश की है।

8. प्रतिवादीगण को ओर से कोई गवाह व अभिलेखीय साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नहीं किये गये। दोनों पक्षों की शहादत बन्द की गयी।

9. हमने दोनों पक्षों की बहस सुनी। बहस तथ्यों पर मनन किया। पत्रावली का अध्ययन किया। अतः तनकीवार निर्णय निम्नानुसार किया जाता है:'–

तनकी संख्या–1

मौजा रानीवाडा खुर्द तहसील रानवीडा खुर्द के नवीन खसरा नम्बर 1402 रकबा 2.82 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 1403 रकबा 0.68 हेक्टेयर ,खसरा नम्बर 1404 रकबा 1.91 हेक्टेयर व खसरा नम्बर 1405 रकबा 1.23 हेक्टेयर जूमले रकबा 5.64 हेक्टेयर वादिया की खरीदसुदा व कब्जाकाश्त की आराजी होने से उक्त आराजी वादीया के नाम खातेदारी की घोषणा कराने की अधिकारी के संबंध में उक्त वाद व वाद के साथ प्रस्तुत दस्तावेज एवं साक्ष्य सबूत गहनता से अध्ययन एवं समीचीन किया गया। व वादीया द्वारा प्रदर्श 1 बैचान दस्तावेज पंजीकृत दिनांक 27.01.1994 प्रतिवादी बगदा पुत्र वेला , छगना , तेजा, पिता वदा , किस्तूरा पुत्र गेना कौम रावल ब्राहम्ण साकिन रानीवाडा खुर्द द्वारा निष्पादित वाद के साथ प्रस्तुत किया। उक्त बैचान दस्तावेज के उक्त निस्पादितकर्ता द्वारा 165000 रूपये उप पंजीयक रानीवाडा के समक्ष प्राप्त कर खरीददार श्रीमति नेनूदेवी पत्नि हरीराम कौम चौधरी साकिन रानीवाडा को बेचान कर कब्जा काश्त सुपुर्द करना व्यक्त किया है। उक्त बैचान दस्तावेज में स्टाम्प ड्यूटी कमी के कारण दस्तावेज पर धारा 47A (1) का नोट अंकित कर मिनट बुक के कम संख्या 15/22.02.1994 पर दर्ज किया एवं प्रकरण कलेक्टर (मुद्रांक) पाली वृत पाली को बेचानकर्ता बगदा बगैरा व खरीददार नेनूदेवी के विरूद्व प्रस्तूत किया। जो प्रकरण संख्या 35/94 राज्य सरकार जरिये उप पंजीयक रानीवाडा बनाम बगदा वगैरा व खरीददार श्रीमति नेनूदेवी के विरूद्व दर्ज किया जाकर कमी स्टाम्प शूल्क की वसूली के संबंध में सुनवाई करते हुए दिनांक 28.02.1997 को निर्णय पारित किया जिसमें 7604 रूपये अप्रार्थी से वसूल किया जावे। जो प्रदर्श 3 है। उक्त राशि जरिये रसीद संख्या 05/97 दिनांक 03.03.1997 को राशि जमा करवाने के पश्चात दिनांक 02.09.1999 को उप पंजीयक रानीवाडा द्वारा दस्तावेज संख्या 596/99 पर दर्ज किया गया। दस्तावेज के पेज संख्या 4 व 5 के पृष्ठ भाग पर ईबारत A से B अंकित है। जिसके अनुसार प्रतिवादीगण द्वारा दावे में वर्णित भूमि बेचान कर कब्जा मौके पर सुपुर्द करना बेचान दस्तावेज प्रदर्श 1 से साबित है। प्रतिवादीगण द्वारा जब दावें में आराजी वादिया को बैचान कर दि गई थी, जिसकी जानकारी भली भांति बैचानकर्ता (प्रतिवादीगण) को थी। इसके पश्चात वादिया द्वारा अपने दावे में वर्णित भूमि खरीदसुदा होने ने बेचानकर्ता (प्रतिवादीगण) के विरूद्व दावा दिनांक 14.07.2017 को प्रस्तुत किया। जिसमें प्रतिवादीगण (बैचानकर्ताओ) के नाम सम्मन इस न्यायालय से जारी किये गये, जो दिनांक 15. 09.2017 को प्रतिवादी संख्या 5, 6 [illegible] तामिल हूआ है तथा प्रतिवादी संख्या 3 तेजा का सम्मन आबाद मकान पर [illegible] रूबरू चस्पा होकर प्राप्त हुआ है। प्रतिवादी संख्या 1 बगदा, प्रतिवादी संख्या 4/1 , [illegible] 4/2, रेवा, 4/3 भगा, 4/4 मु. सणगी, प्रतिवादी संख्या 8/1 सु[illegible] 8/2 [illegible]ता के सम्मन की तामिल उनकी संरक्षक दादी केसी के जरिये व प्रतिवादी सं[illegible] 9 केसी, प्रतिवादी संख्या 10 भूमिधारी तहसीलदार प्रतिवादी संख्या 11 आई.सी.आई.सी.आई. बैक शाखा रानीवाडा के जरिये प्रबंधक

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.04.22 16:38:37 IST
Reason: SelfAttested

से स्वयं से तामील होकर प्राप्त हुए है, तथा प्रतिवादी संख्या 2/1 वगतू का सम्मन दिनांक 24.03.2018 को सम्मन तामील होकर प्राप्त हुआ है। प्रतिवादी संख्या 10 व 11 ने अपना जवाब प्रस्तुत किया है परन्तु इनके अलावा स्वयं से सम्मन तामील होने एवं जानकारी होने के बावजूद कोई जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया तथा न ही कोई प्रतिवादी स्वयं या इनकी ओर से पेरोकारी हेतु अधिवक्ता या अधिकृत प्रतिनिधी भी उपस्थित नही हुआ। इस प्रकार वादीया के वाद के तथ्यों किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया। जिसकी प्रतिवादीगण को मौन स्वीकृति है।

वादीया को बैचान दस्तावेज से दावे में वर्णित भूमि बैचान कर उसका प्रतिफल प्रतिवादीगण (बैचानकर्ता) द्वारा प्रतिफल पाप्त कर देने तथा मौका कर कब्जा खरीददार वादिया को सुपुर्द कर देने एंव किसी प्रकार का अधिकार बैचानकर्ता प्रतिवादीगण का नहीं रहेगा, बैचान दस्तावेज प्रदर्श 1 में अंकित है। इस प्रकार प्रतिवादीगण (बैचानकर्ता) द्वारा प्रदर्श 1 में वर्णित भूमि आराजी वादिया की मालिकाना हक की होने से किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। राजस्व रेकर्ड में खरीदसुदा आराजी का अमल दरामद कराने का दायित्व उपपंजीयक रानीवाडा द्वारा नियम 141 राज. भू. अभिलेख नियम के अनुसार तहसीलदार का उत्तरदायित्व था, परन्तु वादिया का राजस्व रेकर्ड में उक्त बैचान दस्तावेज का इन्द्राज नहीं हुआ। जिस पर जानकारी में आते ही वादिया ने उक्त दस्तावेज प्रदर्श 1 का राजस्व रेकर्ड में दावें में वर्णित आराजी का खातेदारी घोषणा का वाद प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी (बेचानकर्ता) द्वारा दिनांक 28.10.1993 दावें में वर्णित आराजी वादीया को बेचान कर दी गई थी, इसलिए उक्त तारीख के पश्चात् वादीया के पीठ पिछे वादीया को सुनवाई का अवसर दिये बिना की हुई, होने से तथा वादीया के हितों के विरूद्व शुन्य बेअसर व अवैघ होने से वादीया पर बाध्यकारी नहीं है।

वादीया द्वारा साक्ष्य शपथ–पत्र में बेचान दस्तावेज दिनांक 28.10.1993 को प्रदर्थ–एक खरीद सुदा आराजी का परीक्षण करवाया तथा उक्त दस्तावेज अतिरिक्त कलेक्टर (मुद्रांक) पाली के प्रकरण संख्या–35/94 प्रदर्श–2 आदेशिका एवं कलेक्टर (मुद्रांक) पाली वृत पाली के उक्त प्रकरण के निर्णय दिनांक–28.02.1997 प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श–3 प्रस्तुत की। मौजा रानीवाडाखुर्द की जमाबंदी खसरा नबंर 1402 से 1405 की जमाबंदी संवत् 2062 से 2065 एवं जमाबंदी संवत् 2066 से 2069 की फोटो प्रतिया प्रस्तुत करना तथा जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 की प्रमाणित प्रतिलिपी प्रदर्श–4 पेश की जिसका प्रतिवादी संख्या–10 भुमिधारी ने प्रति परीक्षण किया। वादीया ने प्रतिपरिक्षण में व्यक्त किया कि मैने 1999 ने जब दस्तावेज मेरे पास पंजीयन होकर आया होगा तब म्युटेशन हेतु आवेदन किया या नहीं, मुझे जानकारी नहीं है।

उपर्युक्त अनुसार इस तनकी पर पुर्ण विवेचन व विश्लेशण किये जानें एवं वाद के साथ प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर तथा प्रतिवादी द्वारा किसी भी प्रकार का इस वाद का खण्डन नहीं करने से यह तनकी स्पष्ट रूप से वादीया के पक्ष साबित होने से वादीया के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या–2

उक्त विवादित अराजी के राजस्व रेकर्ड दुरूस्त करवाकर उक्त आराजी की खातेदारी में वादीया का नाम दर्ज करवाने के संबंध में तनकी संख्या 1 के विस्तृत विवेचन अनुसार उक्त तनकी भी वादीया के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या–3

वादीया उक्त विवादित आराजी पर स्थाई निषेधाज्ञा के संबंध में तनकी संख्या–1 के विस्तृत विवेचन के आधार पर वादीया द्वारा बेचान दस्तावेज प्रदर्श–1 में वर्णित आराजी के आधार पर वादीया के पक्ष में खातेदारी की घोषणा की डिक्री जारी होने पर स्थायी निषेधाज्ञा वादीया के पक्ष में जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः यह तनकी भी वादीया के पक्ष में निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.04.22 16:32:37 IST
Reason: SelfAttested

10. उपर्युक्त तनकीवार विवेचन एवं विश्लेशन के अनुसार वादीया का वाद स्वीकार योग्य पाया जाने से खातेदारी की धोषणा एवं डिक्री वादीया में पक्ष में जारी किया जाना न्याय संगत है।

–: आदेश :–

11. अतः वादीया का स्वीकार किया जाता है तथा मौजा रानीवाडाखुर्द की आराजी खसरा नबंर 1402 रकबा 2.82 हैक्टर, खसरा नबंर 1403 रकबा 0.68 हैक्टर, खसरा नबंर 1404 रकबा 0.91 हैक्टर, खसरा नबंर 1405 रकबा 1.23 हैक्टर जुमले रकबा 5.64 हैक्टेयर वादीया श्रीमति नेनुदेवी पत्नि हरिराम जाति चौधरी निवासी रानीवाडा कला तहसील रानीवाडा के नाम प्रदर्श 1 माफिक बैचान दस्तावेज वर्णित अनूसार खातेदारी आराजी की घोषणा की जाती है तथा उक्त प्रदर्श–1 बेचान दस्तावेज के अलावा राजस्व रेकर्ड में विपरीत दर्ज इन्द्राजात को निरस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। वादीया के पक्ष में उक्त आराजी की खातेदारी घोषणा की जाने से इनकी उक्त आराजी में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें तथा न ही कराने की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। प्रतिवादी संख्या 11 आई.सी.आई.सी.आई शाखा रानीवाडा द्वारा वादीया की आराजी पर ऋण लेने के संबंध में भुमि रहन के संबंध में कुछ स्पष्ट नहीं किया है, चुकि ऋण ऋणग्रहिता बगदाराम पुत्र वेलाराम के नाम लिया गया है तथा बगदाराम के नाम खातेदारी भूमि उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में इसका प्रभाव वादीया पर नहीं पडता है। अतः वादीया के पक्ष में उक्त आशय की डिक्री पर्चा जारी किया जावें तथा निर्णय की प्रति तथा डिक्री पर्चा की प्रतिलिपि तहसीलदार रानीवाडा को पालना हेतु भेजी जाती है। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
सहायक कलेक्टर
रानीवाडा जिला–जालोर

निर्णय आज दिनांक 03.03.2021 को सरे इजलाज सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला–जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.04.22 16:32:37 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल्स 6–7, जाब्ता दीवानी)

(civil procedure code, Appendix “D”-1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर रानीवाडा जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश चन्द्र अग्रवाल आर.ए.एस.

वादीया		प्रतिवादीगण
श्रीमती नेनूदेवी पत्नि हरीरामजी जाति चौधरी निवासी रानीवाडा कलां तहसील रानीवाडा	बनाम	1. बगदा वल्द वेलाजी 2. मृतक छगना वल्द वदाजी के वारीसान– 2/1 वगतु बेवा छगनाजी 3. तेजा वल्द वदाजी 4. मृतक किस्तुरा वल्द गेनाजी के कायम मूकाम वारीसान– 4/1 मफा 4/2 रेवा 4/3 मगा पिसरान किस्तुराजी 4/4 मु. सणगी बेवा .किस्तुराजी 5. भरत कुमार 6. प्रकाश 7. प्रवीण पिसरान रूपाजी 8. मृतक रमेश कुमार वल्द रूपाजी के कायम मूकाम वारीसान– 8/1 सुमित्रा 8/2 लता पुत्रीयान रमेश कूमार प्रतिवादी सुमित्रा व लता ना. बा. जरिये संरक्षक दादी केसी बेवा रूपाजी 9. केसी बेवा रूपाजी तमाम जातियान रावल ब्राहमण साकिनान रानीवाडा खुर्द तहसील रानीवाडा जिला जालोर 10. भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा 11. आई.सी.आई.सी.आई बैंक शाखा रानीवाडा जरिये प्रबन्धक

अन्तर्गत धारा 88,188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955 एवं धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व वाद संख्या 21/2017

यह मुकदमा आज इनफिसाल कत्तई रूबरू पक्षकारान व हाजरी वादीया की ओर से वकील श्री जबराराम पूरोहित उपस्थित, प्रतिवादी संख्या 10 की ओर से राजपेरोकार तहसीलदार रानीवाडा उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 से 9 के विरूद्व अनूपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही होने से अनूपस्थित। मनजानिव मुद्रायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि मौजा रानीवाडाखुर्द की आराजी खसरा नबंर 1402 रकबा 2.82 हैक्टर, खसरा नबंर 1403 रकबा 0.68 हैक्टर, खसरा नबंर 1404 रकबा 0.91 हैक्टर, खसरा नबंर 1405 रकबा 1.23 हैक्टर जुमले रकबा 5.64 हैक्टेयर वादीया श्रीमति नेनुदेवी निवासी रानीवाडा कला तहसील रानीवाडा के नाम प्रदर्श 1 माफिक बेचान दस्तावेज वर्णित अनुसार खातेदारी आराजी की घोषणा की जाती है तथा उक्त प्रदर्श–1 बेचान दस्तावेज के अलावा राजस्व रेकर्ड में विपरीत दर्ज इन्द्राजात को निरस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। वादीया के पक्ष में उक्त आराजी की खातेदारी घोषणा की जाने से इनकी उक्त आराजी में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलन्दाजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.04.22 16:32:37 IST
Reason: SelfAttested

नहीं करें तथा न ही कराने की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। प्रतिवादी संख्या 11 आई.सी. आई.सी.आई शाखा रानीवाडा द्वारा वादीया की आराजी पर ऋण लेने के संबंध में भुमि रहन के संबंध में कुछ स्पष्ट नहीं किया है, चुकि ऋण ऋणग्रहिता बगदाराम पुत्र वेलाराम के नाम लिया गया है तथा बगदाराम के नाम खातेदारी भूमि उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में इसका प्रभाव वादीया पर नहीं पडता है। निर्णय की प्रति तथा डिक्री पर्चा की प्रतिलिपि तहसीलदार रानीवाडा को पालना हेतु भेजी जाती है। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

बशर्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 03.03.2021 को जारी की गई।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला–जालोर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दयलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	3	00	स्टाम्प वकालतनामा	0	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	जवाबदावा	0	00
स्टाम्प वजह सबूत	0	00	स्टाम्प अर्जी	0	00
महनताना वकील	0	00	महनताना वकील	0	00
खर्चा गवाहान	0	00	खर्चा गवाहान	0	00
फीस कमीश्नर	0	00	फीस कमीष्नर	0	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00
मुतफरिक	0	00	मुतफरिक	0	00
मौजाना	4	00	मौजाना	0	00

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.04.22 16:32:37 IST
Reason: SelfAttested